स0सं0–1/विविध–71/2018 – 127(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरणभा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।**

पटना, दिनांक–20/03/2026

विषयः– राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमुई के निर्माण हेतु, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु० 5,00,00,00,000/– (रुपये पाँच अरब) की लागत से स्वीकृत योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025–26 Under Part-I" अतंर्गत द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरूद्ध राशि रु0 13,00,00,000/–(रुपये तेरह करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, जमुई के निर्माण हेतु प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु० 5,00,00,00,000/– (रुपये पॉच अरब) मात्र की योजना की विभागीय स्वीकृति राज्यादेश संख्या–310(1), दिनाक–07 03.2019 के द्वारा दी गयी है। इस केन्द्र प्रायोजित योजनातर्गत केन्द्राश मद आवटित कुल राशि रू० 150 00 करोड एव समानुपातिक राज्याश मद की राशि रू० 100 00 करोड अर्थात् कुल राशि रू० 250.00 करोड व्यय की स्वीकृति दी जा चूकी है। शेष प्राक्कलित राशि के व्यय का वहन राज्य योजना मद से किया जायेगा।

2– भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से अब तक प्राप्त आवटनादेश एव अब तक विभागीय स्तर पर स्वीकृत एव निर्माण एजेन्सी (BMSICL) को आवंटित राशि की विवरणी निम्नवत् है–

क्र०स०	विभागीय राज्यादेश स०	केन्द्राश	राज्याश
1	स०–1051(1), दिनाक–09 12 2020	50,25,00,000	6,93,24,500
2	स०–56(7), दिनाक–03 08 2021	9,30,00,000	6,20,00,000
3	स०–334(7), दिनाक–28 11 2023	90,45,00,000	25,00,00,000
4	स०–457(7), दिनाक–30 01 2024		40,87,00,000
5	स०–223(7), दिनाक–18 10 2024		21,00,00,000
	कुल आवटित राशि	**1,50,00,00,000**	**1,00,00,24,500**
	कुल राशि (केन्द्रांश राज्याश)	**2,50,00,24,500**	

3–राज्य योजना मद से अबतक निगम को आवटित की गयी राशि की विवरणी निम्नवत है–

क्र०स०	विभागीय आवटनादेश स०	आवटित राशि
1	स0 200(7) दिनाक–28 08 2023	25,00,00,000
2	स0 655(7) दिनाक–15 03 2024	31,00,00,000
3	स0 587(7) दिनाक–28 03 2025	60,00,00,000
4	स0 270(7) दिनाक–02 09 2025	10,00,00,000
	कुल राशि	**1,26,00,00,000**

4– उक्त योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु भारत सरकार, वित्त मत्रालय के पत्राक–F.No.44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX) Bihar, दिनाक–22 07 2025, पत्राक–F.No.44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Bihar-SACE-19, दिनाक–22 07 2025 एव वित्त विभाग के पत्राक–580/वि0, दिनाक–30 07 2025 के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 मे "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अतर्गत रु0 25 00 करोड की राशि इस परियोजना हेतु स्वीकृति दी गयी। विभागीय पत्राक–270(7), दिनाक–02 09 2025 द्वारा उक्त स्वीकृत राशि रू० 25 00 करोड के विरूद्ध रू० 10 00 करोड मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है।

5– पुनः भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय के पत्रांक– F.No.44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Bihar-SACE-78, दिनांक–31.12.2025 एवं वित्त विभाग के पत्रांक–1049/वि0, दिनांक–31.12.2025 द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अतंर्गत द्वितीय किस्त के रूप मे राशि विमुक्त की गयी है।

6– उक्त के आलोक में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमुई के निर्माण हेतु, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रू० 5,00,00,00,000/– (रुपये पॉच अरब) की लागत से स्वीकृत योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 मे "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025–26 Under Part-I" अतर्गत द्वितीय किस्त के रूप मे विमुक्त राशि के विरूद्ध राशि रु0 13,00,00,000/–(रुपये तेरह करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

7– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश सं0–310(1), दिनाक–07.03.2019 मे अंकित शर्तो के आधार पर कराया जायेगा।

8– राज्य योजना मद से इस राशि के व्यय का वहन मॉग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना, उप–शीर्ष–0101–मेडिकल कॉलेजो हेतु, विपत्र कोड–20–4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि/अनूपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

9– राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

10– वित्त विभागीय पत्र संख्या–632/वि०, दिनाक–04.07.2023 के क्रम मे निर्गत वित्त विभागीय पत्र सख्या–10792/वि०, दिनांक–06.12.2023 के क्रम मे "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26" के लिए पूजीगत परियोजनाओं से सबधित चालू योजनाओ के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबधित बैक खाते मे हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID मे जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबधित बैक खाते मे हस्तान्तरित कर दिशा–निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

11– वित्त विभागीय पत्रांक–432/वि०, दिनाक–29.03.2023 एव पत्रांक–1049/वि0, दिनाक–31.12.2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र मे तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी० एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

12– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनाक–06.05.06 एव 2938/वि0(2), दिनाक–08.04.08, 2199/वि0, दिनांक–24.03.2017, 3758/वि0, दिनाक–31.05.2017 एव 12888/वि0, दिनाक–03.12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

13– इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

14– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

15– प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– स0सं0–1/विविध–71/2018 के पृष्ठ 56./टि0 में प्राप्त है।

16– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(शम्भु शरण)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 1/विविध–71/2018 – 127(7A) /स्वा0, पटना, दिनांक– 20/03/2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मन्त्री (स्वास्थ्य) के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना एव प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई–मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।